छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

सन्दर्भ सं0: सी.एस.जे.एम.वि.वि./ Secret(Verification)/ 194 /2020 दिनांक : 30/ 09/ 2020

विश्वविद्यालय में शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन सम्बन्धी दिशा निर्देश

विश्वविद्यालय में शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगाः–

"विश्वविद्यालय के खाता संख्या–349502050000603 RTGS IFS Code UBIN 0534951 में सम्बन्धित विभाग/कार्यालय अथवा अभ्यर्थी द्वारा रू0 300/– मात्र (प्रति अभ्यर्थी) की दर से भुगतान किये जाने एवं सम्बन्धित पाठ्यक्रम के प्रत्येक वर्ष के अंकपत्रों कि सुस्पष्ट छायाप्रति संलग्न किये जाने के पश्चात् ही अंकपत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी।"

एतदर्थ समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/नियोक्ताओं से सादर अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ विभागों को आदेशित/निर्देशित करने का कष्ट करें कि अभ्यर्थियों के अंकपत्रों के सत्यापन हेतु स्नातक/परास्नातक प्रत्येक वर्ष के अंकपत्रों की सुस्पष्ट छायाप्रति, उपरिनिर्दिष्ट खाते मे जमा शुल्क, जिसमें दिनांक एवं धनराशि (रू0 300/– मात्र) प्रति अभ्यर्थी अंकित हो, तद्नुसार विश्वविद्यालय को प्रेषित करें, जिससे कि सत्यापन की प्रक्रिया त्वरित गति से निष्पादित की जा सके।

साथ ही यह भी अवगत कराना है कि विभागों द्वारा प्रेषित त्रुटिपूर्ण डाक अथवा अपूर्ण प्रत्यावेदन अथवा अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम/अंकों में अंतर आदि की दशा में विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

नोट– सत्यापन के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति की जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट *www.kanpuruniversity.org* पर बने *link "Education verification" dispatch detail* से प्राप्त की जा सकती है।

भवदीय

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सिस्टम मैनेजर, विश्वविद्यालय संगणक केन्द्र को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय के होम पेज पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति महोदया को सादर सूचनार्थ।
3. जनसम्पर्क कार्यालय।

उपकुलसचिव (सत्यापन)